न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 03 / 2021

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2021 / 61

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थीगण
1 रमीला कंवर धर्मपत्नी शंकरसिंह जति–राव, निवासी–सांचौर तहसील व जिला–सांचौर		1 भारमल वल्द पदमा, कौम–कलबी, निवासी–पहाड़पुरा, तहसील व जिला–सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजु :– 30.06.2021

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीया की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह जुनेजा उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 18.10.2024

अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने एक राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' की उपधारा–2 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि ग्राम पहाड़पुरा के खेत खसरा संख्या 692 रकबा 3.76 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, जाव सोयम की आयी हुई है और मुझे उक्त खेत में जाने के लिए नये रास्ते की आवश्यकता है मेरे खेत में जाने के लिए रास्ता अप्रार्थी के खातेदारी खेत ग्राम पहाड़पुरा के खेत खसरा संख्या 691 रकबा 3.72 हैक्टेयर में से सांचौर लिफ्ट कैनाल तक जाने हेतु चौड़ाई 18 फीट रास्ते की आवश्यकता है। उक्त रास्ते के अलावा मेरे पास उक्त खातेदारी के खेत में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है तथा इसी रास्ते की प्राप्ति हेतु उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया है। प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में लाल रंग से दर्शाया गया है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाकर राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करने हेतु आदेश फरमावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी उपस्थित आये और जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रावधानों के विपरित होने से पोषणीय नहीं है क्योंकि प्रार्थीया ने पूर्व में भी प्रार्थीया के इसी खेत में आवागमन हेतु अप्रार्थी के खेत में से रास्ते की मांग की गई थी। प्रार्थीया के खेत में आवागमन का धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों अनुसार खसरा संख्या 2064 व 2065 मौजा सांचौर (नौखुपुरा) में से होकर है प्रार्थीया ने अवतरण में अप्रार्थी के खसरों का वर्णन गलत किया है। खसरा संख्या 691 मौजा पहाड़पुरा में है नहीं, ऐसी सूरत में प्रार्थना–पत्र काबिल खारिज है। प्रार्थीया ने लिफ्ट केनाल में अवाप्त भूमि में से होकर रास्ते की मांग की गई है लेकिन नर्मदा विभाग को पक्षकार नहीं बनाया है अतः [illegible] प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीया ने अप्रार्थी के खेतों के खसरा नंबर का गलत वर्णन व प्र[illegible] विहित प्रावधानों के विपरित होने से खारिज फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:11:20 IST
Reason: SelfAttested

बहस अधिवक्ता उभ[illegible] वकील ने अपनी ब[illegible] निवेदन किया कि अप्रार्थी से रास्ते की मांग हेतु आवेदन दिनांक 30.06.2021 को न्यायालय में प्रस्तुत किया। वर्तमान में प्रार्थीया अप्रार्थी के खेत में से चलती है प्रार्थीया के पास उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीया के खेत में जाने के लिए

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी की खातेदारी भूमि रास्ता हेतु चौड़ाई में 18 फीट के रास्ते की आवश्यकता है अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाकर रास्ता राजस्व रेकर्ड में तरमीम हेतु आदेश फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीया के खेत में आवागमन का धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात् मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 'क' में कानुनी प्रावधान है। 251'क' अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।

गैर मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने का एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपभारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251'ए' में यह आज्ञापक विधिक आवश्यकता है कि रास्ता इसी दशा में स्वीकृत किया जा सकता है जबकि उसकी आत्यांतिक आवश्यकता हो साथ ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो। भू अभिलेख निरीक्षक गोलासन की मौका जांच रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 692 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 691 में से निकल रही नर्मदा लिफ्ट केनाल से लगता खसरा संख्या 691 से 692 तक 47 मीटर दुरी पड़ती है खसरा संख्या 692 ग्राम पहाड़पुरा की अंतिम सीमा पर स्थित है जिसकी सीमा ग्राम पहाड़पुरा से लगती है।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:11:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि सरहद मौजा पहाड़पुरा के खसरा संख्या 691 रकबा 3.72 हैक्टेयर में से नर्मदा लिफ्ट केनाल की सीमा से लगते हुए भू अभिलेख निरीक्षक गोलासन द्वारा प्रस्तावित 18 फीट चौड़े भाग की खातेदारी की अभिधृति निर्वापित करते हुए खातेदारी भूमि में से कम करते हुए सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

:– आदेश :–

परिणामस्वरूपः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक गोलासन की मौका जांच रिपोर्ट के प्रस्तावित नजरी नक्शे अनुसार ग्राम पहाड़पुरा के खसरा संख्या 691 रकबा 3.72 हैक्टेयर में से नर्मदा लिफ्ट केनाल की सीमा से लगते हुए 18 फीट चौड़े रास्ते हेतु खसरा संख्या 691 के खातेदार की अभिधृति निर्वापित करते हुए इसका रकबा अप्रार्थी की खातेदारी से कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता हे कि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70 (i) (ii) (क) के अनुसार वर्तमान डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि की गणना कर निर्धारित प्रतिकर राशि प्रार्थीया से प्राप्त कर खसरा संख्या 691 के खातेदार को रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी से कम की गई हेतु भुगतान करावे।

प्रार्थी द्वारा राशि जमा करवाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद एवं भौतिक रूप से मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावें। अप्रार्थी खातेदार द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उसे तब तक जमा रखे जब तक की ऐसे खातेदार/वारिसान राशि प्राप्त न कर लें। इस राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार सांचौर को तहरीर जारी हो। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नंबर से एक होकर फैसल शुमार हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:11:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner